कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण

क्रमांक : 19717 दिनांक : 21/10/22

निविदा–सूचना

नगर निगम की ओर से कार्य/आपूर्ति वार्षिक दर संविदा के आधार पर करने हेतु निर्धारित निविदा प्रपत्र में निविदाएं आमंत्रित की जाती है। जो इच्छुक सप्लायर्स निविदा में हिस्सा लेना चाहते है वे निविदा प्रपत्र sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल से डाउनलोड कर अपनी निविदाएं सीलबंद लिफाफे में मय रू 500/– निविदा शुल्क के डिमांड ड्राफ्टट (आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण के नाम), वित्तीय प्रस्ताव व शर्तों की हस्ताक्षरित प्रति के निगम कार्यालय के कमरा नं. 216 में निर्धारित अंतिम दिनांक को दोपहर 3.00 बजे तक प्रेषित कर सकते हैं। प्राप्त निविदाएं उसी दिनांक को सायंकाल 04.00 बजे उपस्थित निविदाताओं के समक्ष खोली जाएगी। राजकीय अवकाश होने पर निविदाएं अगले कार्य दिवस को प्राप्त की व खोली जाएगी।

क्रसं.	सामान/कार्य	अनुमानित राशि रू.	धरोहर राशि रू.	निविदा प्राप्त करने की अंतिम दिनांक व समय
01	निगम में आसाम बांस आपूर्ति का कार्य तकनीकि विवरण अनुसार	300000	6000	28/10/2022 3.00 PM.

शर्ते :– 01. निविदा एक वर्ष तक या नई निविदा तक मान्य रहेगी। 02. दर्शायी गयी अनुमानित मात्रा से कम या अधिक क्रय करने हेतु निगम स्वतंत्र रहेगी। 03. इस निविदा को निगम की website www. jodhpurmc,org, SPPP.rajasthan.gov.inपर देखा जा सकता है।

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर दक्षिण

क्रमांक : 19718 to 19722 दिनांक :– 21/10/22

प्रतिलिपि :–

01. संपादक .... को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा आगामी अंक में न्यूनतम साईज में प्रकाशित कर बिल राजकीय दर से भिजवाने की व्यवस्था करावे।
02. अतिरिक्त आयुक्त/उपायुक्त, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
03. लेखाधिकारी, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
04. आई.टी सेल, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
05. मैसर्स इलीट मंत्रा, नगर निगम जोधपुर दक्षिण को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा निगम की वेबसाईट पर डालकर सूचित करे।

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर दक्षिण

Scanned with CamScanner

कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण

आसाम बांस आपूर्ति हेतु तकनीकि विवरण/ शर्तें

1. बांस 18 फीट लंबाई का सीधा देना होगा।
2. बांस का आगे का मुंह लगभग 2.5 इंच मोटा व पीछे का हिस्सा 3.5 इंच का होगा।
3. आडे–टेढ़े बांस पुनः लौटाये जायेंगें जिसका भुगतान देय नहीं होगा। बदलना होगा।
4. स्टोर कीपर की मांग अनुसार तीन दिवस में बांस की आपूर्ति करनी होगी।
5. बांस का सैम्पल देना होगा।

Scanned with CamScanner

वित्तीय प्रस्ताव

कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण

क्रं.सं.	वस्तु	दर (रूपये प्रतिनग,GST अतिरिक्त)
1.	निगम में आसाम बांस आपूर्ति का कार्य तकनीकि विवरण अनुसार	(अंकों में..रूपये) (शब्दो में... .... रूपये)

1. निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ जी.एस.टी रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड की प्रति संलग्न करनी होगी जिनके अभाव में निविदा मान्य नहीं होगी।

निविदादाता हस्ताक्षर
नाम मय मोहर

Scanned with CamScanner

कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण

टेण्डर और कान्ट्रेक्ट की शर्तें

अपने निविदा/कोटेशन देने से पूर्व शर्तों को पढ़े।

01. निगम की मांग अनुसार दिये गए समय में सामग्री की सप्लाई करनी होगी।
02. टेण्डर खुलने से पूर्व धरोहर राशि के ड्राफ्ट/बैंकर चैक नगर निगम में जमा कराने होंगे।
03. दिया गया कार्य टेण्डरदाता आगे दूसरे को न दे सकेगा अथवा सबलेट न कर सकेगा।
04. माल अच्छी किस्म का सप्लाई आदेश में वांछित स्पेशीफिकेशन एवं शर्तो के अनुसार होना चाहिये। किस्म एवं क्वालिटी के बाबत् माल लेने वोले अधिकारी काफैसला अंतिम होगा और माल के नामंजूर करने पर टेंडर दाता को माल replaceकरना पड़ेगा। जिसके लिये कोई हर्जा खर्चा होगा तो टेण्डर दाता स्वयं वहन करेगा।
05. क्रय अधिकारी अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि किसी भी उचित समय पर सप्लायर के यहां माल देखने अथवा जांचने का अधिकार रखेगा जिसके लिये सप्लायर को अपनी दुकान/कारखाने/गोदाम का पता एवं वहां के इन्चार्ज का नाम पता देना होगा।
06. माल को अच्छी हालत में निगम तक पहुचाने के लिये सप्लायर को (माल का उचित पैकिंग) करना होगा।
07. दरें एफ.ओ.आर. नगर निगम के कार्यालय/भण्डार तक पहुंचाने की होगी।
08. जिसका टेण्डर मन्जूर किया होगा उसे सप्लाई आदेश देने की दिनांक से माल/कार्य कार्यादेश में निर्धारित समय में देना होगा। माल स्वीकृत दर पर निगम की आवश्यकता अनुसार देना होगा और सप्लाई सन्तोषजनक न होने पर अनुबंध के किसी भी समय समाप्त करने का निगम को अधिकार होगा एवं सप्लाई का समय निगम की सुविधा अनुसार ही बढ़ाया जा सकेगा।
09. टेण्डर के साथ धरोहर राशि रूपये 6000/— बैंक डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में पेश होना आवश्यक है। चैक द्वारा धरोहर राशि मान्य नहीं होगी।
10. सफल टेण्डर दाता को वांछित फार्म में इकरारनामा उचित स्टाम्प पेपर भर कर देना होगा और कार्य को पूरा करने के लिये अमानत के रूपये नियमानुसार नगर निगम कोष में जमा कराने होंगे जो कार्य को सन्तोषजनक ढंग से सम्पूर्ण होने के दो माह वापिस लौटा दिये जावेगें। इकरारनामा भर कर दिये गये समय पर पेश न करने पर शर्तों का भंग होना माना जायेगा और धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी, निर्धारित शर्तो को भंग करने अथवा कान्ट्रेक्ट को सन्तोषजनक ढंग से परिपूर्ण न करने की

Scanned with CamScanner

दिशा में जमा अमानत राशि पूरी अथवा अंश में जब्त कर ली जावेगी। जिसमें क्रय अधिकारी का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

11. सप्लायर द्वारा दिये गये समय में माल की सप्लाई न करने की दशा में नगर निगम द्वारा बिना कोई नोटिस दिये, सप्लायर की रिस्क पर माल खरीद किया जावेगा और आदेश निरस्त किया जावेगा। जिससे होने वाला नुकसान (damages) सप्लायर से उसके किसी भी क्लेम से जो नगर निगम से देय होगा, वसूल किया जा सकेगा। उसके बिल अथवा कोई अन्य देय राशि से वसूली न होने पर उसे कानूनी कार्यवाही द्वारा वसूल की जा सकेगी। ऐसी रिस्क परचेज में नगर निगम खरीददारी अपने विवेकानुसार करेगी। ऐसे सारे मामले जहां सप्लाई न करने से सप्लाई आदेश निरस्त किये जाने की सूरत में कान्ट्रेक्ट का भंग होना माना जावेगा और निगम ऐसी सूरत में उसी अनुसार कार्यवाही करेगी।

12. माल नगर निगम भण्डार/कार्यालय में सही हालत में सप्लाई करना होगा जिसके लिये सप्लायर चाहे तो कीमती सामान को किसी तरह से नष्ट होने वाले नुकसान से बचने के लिये अपने खर्चे पर बीमा (Insurance) कर सकता है।

13. माल के बाबत् किसी तरह का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा। माल पहुंचाने के बाद पूरी तरह से देखकर जांच करके सही सलामत लाने पर स्वीकार करने के बाद ही सप्लायर भुगतान का हकदार होगा। किसी तरह का विवाद होने पर 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत भुगतान रोक लिया जावेगा जो विवाद हल होने के बाद जैसा फैसला होगा उसके अनुसार भुगतान किया जावेगा।

14. नगर निगम को किसी टेण्डर की दर को मन्जूर करने या नामंजूर करने का बिना कोई कारण बताये पूरा अधिकार होगा और माल पूरा या अंश रूप में लेने का अधिकार होगा।

15. रेल्वे रसीद अथवा ट्रांसपोर्ट कम्पनी की रसीद वी.पी. द्वारा भेजने पर स्वीकार नहीं की जावेगी।

16. किसी भी विवाद की दशा में कानूनी कार्यवाही हेतु न्याय क्षेत्र जोधपुर शहर में होगा।

17. उपरोक्त टेण्डर की शर्तो के अलावा सप्लायर द्वारा टेण्डर में लगाई गई अन्य शर्तें सशर्त निविदा अमान्य होगी और टेण्डर अस्वीकार किया जावेगा।

18. <u>सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि</u> : परिनिर्धारित नुकसान (Liquidated damages) के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि किए जाने के मामले में निविदादाता जिन सामानों की सप्लाई करने में असफल रहा है, उनके मूल्य के निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली की जाएगी।

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि के एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5%

(ख) विहित सुपुर्दगी अवधि के एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनधिक के विलम्ब के लिए 5%

(ग) विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि से अनधिक के विलम्ब के लिए – 7.5%

(घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10%

Scanned with CamScanner

टिप्पणी : प्रदाय करने में विलम्ब की अवधि को गिनने में दिन के अंश को यदि वह आधे दिन से कम का है तो छोड दिया जाएगा। परिनिर्धारित नुकसान की अधिकतम राशि 10 हैं।

दिये गये भाव/दरें एक वर्ष तक मान्य होगी। जिसकी अवधि आपसी सहमति द्वारा बढ़ाई जा सकेगी।

धरोहर राशि की रकम रूपये .... बैंक डिमाण्ड ड्राफ्टसंख्या .... (आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण के नाम) दिनांक .... के द्वारा पेश है। धरोहर राशि के बिना टेण्डर मान्य नहीं होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Bid Data Sheet

(To be filled in capital letters)

1	Legal Name of bidder	
2	GST Number	
3	PAN Number	
4	Address of Correspondence	
5	Name of Authorized Signatory	
6	Bid document fee detail	Amount Rs.
		DD/BC No.
7	EMD/Bid Security detail	Amount Rs.
		DD/BC No.
8	Applicable Rate of G.S.T.	
9	Mobile No.	
10	Email	

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Scanned with CamScanner